प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- शिवपाल जाट, RAS

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी

1. भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह
2. मोतीसिंह पुत्र मंगलसिंह
3. विजयसिंह पुत्र मंगलसिंह
4. ज्यानकंवर बेवा मंगलसिंह

रावणा राजपूत निवासी बडू

राज. सरकार तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :- अन्तर्गत धारा 136 L.R.A.

उपस्थित :- प्रार्थीगण स्वयं

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 02/10/2021

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बडू के खसरा नम्बर 784, 789, 790 कुल रकबा 5.51 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों की गलती से सम्वत 2065 की जमाबन्दी में प्रार्थीगण की वल्दियत में पिता मंगलसिंह के स्थान पर प्रार्थीगण के नाम सहवन से भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज हो गया जबकि विजयसिंह पिता मंगलसिंह सही नाम दर्ज है इसी प्रकार ज्यानकंवर बेवा मंगलसिंह सही दर्ज है। केवल भंवरसिंह पिता मंगलसिंह दर्ज हो गया, जबकि भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह व मोतीसिंह पुत्र मंगलसिंह दर्ज होना है। प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह, मोतीसिंह पुत्र मंगलसिंह विजयसिंह पुत्र मंगलसिंह ज्यानकंवर बेवा मंगलसिंह सभी राजपूत निवासी बडू दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजपैरोकार अप्रार्थी को तलब किया गया। राजपैरोकार राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहते जबाब बन्द किया जाता है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2073-76 पेश की है जिसमें ज्यानकंवर बेवा मंगलसिंह, भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह, विजयसिंह पुत्र मंगलसिंह रावणा राजपूत दर्ज है। तथा

2/10/21

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

जमाबन्दी सम्वत 2058-2061 पेश की है जिसमें मंगला पुत्र भागीरथ कौम दरोगा दर्ज था फौत होने पर जरिये नामान्तरण संख्या 1722 दिनांक 5/3/2004 के द्वारा मंगला के स्थान पर भंवरसिंह, मोतीसिंह, विजयसिंह पि० मंगलसिंह, ज्यानकंवर बेवा मंगलसिंह दर्ज रिकार्ड हुआ है जिसके बाद बंटवारा होकर ना० सं. 1816 दिनांक 25-05-05 उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है लेकिन सम्वत 2065 में आधार जमाबन्दी करते समय सहवन से भंवरसिंह व मोतीसिंह दोनों भाईयो का नाम सहवन भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज कर दिया जबकि भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह व मोतीसिंह पुत्र मंगलसिंह दर्ज होना चाहिये था। जो रिकार्ड से साबित होता है। तथा आज प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 मजमें आम जानकारी करने पर उपस्थित सभी मौतबरान ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़ू के खसरा नम्बर 784, 789, 790 कुल रकबा 5.47 हैक्टयर भूमि में दर्ज खातेदारी के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह, मोतीसिंह पुत्र मंगलसिंह, विजयसिंह पुत्र मंगलसिंह, ज्यानकंवर बेवा मंगलसिंह जाति रावणा राजपूत दर्ज किया जाकर रेकार्ड दुरूस्त किया जावें। यह आदेश आज दिनांक 02/10/2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम बड़ू में मजमें आम सुनाया गया। तहसीलदार को तामील जारी हो।

(हस्ताक्षर) 2/10/21

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)